न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 126/2017

दायरा दिनांक : 01.08.2017

उनवान

बृजमोहन उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री नारायण, जाति ब्राहमण, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांटगण

बनाम

1– शांति बाई पुत्री श्री नारायण पत्नी प्रभूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां हाल निवासी बटावदा ऊंचा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– दुर्गालाल पुत्र श्री नारायण, जाति ब्राहमण, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां

3– कंचन बाई पुत्री श्री नारायण पत्नी मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां

4– रामकन्या बाई पुत्री श्री नारायण पत्नी रमेश , जाति ब्राहमण, निवासी पचपाडा, तहसील छबडा, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक श्री नरेन्द्र नन्दवाना अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.07.2022

टंकणकर्ता
रमेश

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 19/2010 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम भीलवाडानीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां जमाबंदी सम्वत 2062–2065 खाता संख्या नया 105 पुराना 112 की खसरा नम्बर 235 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 683 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 700 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 33 बीघा भूमि स्थित है । रेस्पोडेंट कम 3 व 4 द्वारा अपीलांट के पक्ष में पूर्व में रिलीजडीड की जा चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2013 को प्राथमिक डिक्री के आधार पर पालना हेतु इजराय पेश की गई जिस पर फाईनल डिक्री पारित किये जाने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच पड़ताल किये बगैर ही मौके की स्थिति देखे बगैर ही डिक्री जारी की गई है, जो गलत है। इसलिए फाईनल डिक्री में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर अधीनस्थ न्यायालय में गलत बंटवारा स्कीम पेश किया गया है। अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री न्याय के भौतिक सिद्धांतों से परे होने से निरस्तनीय है। उक्त इंतकाल में रेस्पोडेंट क्र. 2 का पूर्व में खातेदारी हिस्सा 1/5 था किन्तु नामान्तरकरण में दुर्गालाल, अपीलांट पुत्र श्री नारायण जाति ब्राहमण के नाम से खोला गया है जो अवैध एवं गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। यह कि उक्त इंतकाल के आधार पर रेस्पोडेंट कम 1 शांतिबाई ने अपील की मद नं. 1 में वर्णित भूमियात में से सम्पूर्ण खसरा नम्बरान में से हिस्सा निहित नहीं करके मात्र पटवारी हल्का से मिली भगत करके खसरा नम्बर 683 में अपना हिस्सा दर्ज करवा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यदि रेस्पोडेंट कम 1 ने बिना कब्जे के इंतकाल के आधार पर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द, बेचान कर दिया तो अपीलांट व

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रेस्पोडेंट कम 2 को अपूर्णनीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की है जो न्याय के भौतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2013 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.4.2013 को पारित कर दी गयी लेकिन उक्त निर्णय के बाद इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा किये जाने व उसका निस्तारण दिनांक 21.06.2017 को होने के बाद न्यायालय में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है । उक्त गलती परिस्थिति वश हुई है, जो क्षमा योग्य है । अतः अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। चूंकि तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें कहीं पर भी तहसीलदार के हस्तक्षर नहीं है, जबकि बंटवारा प्रस्ताव पर तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक होता है इस कारण से अधीनस्थ

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील को हम रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2013 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.11.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाठ.
स्टेनो-(पी ए)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा